

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2002—पौष 3, शक 1924

आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ/5882/2614/आजावि/2002.—छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जैन समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक/डी-5884/2614/2002/आजावि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5882/2614/आजावि/2002, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, उप-सचिव.

Raipur, the 24th December 2002

NOTIFICATION

No.F/5882/2614/TDD/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-clause (2) of Clause (C) of Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Alp Sankhyak Ayog Adhiniyam, 1996, the State Government hereby notifies the original inhabitants of Jain community of the state as minority community, for the purpose of said act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A. K. DWIVEDI, Joint Secretary.